:: कार्यालय कलेक्टर भू–अभिलेख जिला बालाघाट

–: प्रेस विज्ञप्ति :–

आयुक्त भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्य प्रदेश ग्वालियर के पत्र कंमाक/1240/10 परीक्षा/2018 ग्वालियर दिनांक 04.6.2018 द्वारा निहित निर्देशानुसार माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटिशन कंमाक 7933/2018 मे स्थगन दिए जाने के कारण पटवारी उम्मीद्वारों की दस्तावेज,सत्यापन एवं काउंसलिंग दिनांक 26.05.2018 को स्थगित की गयी थी।

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटिशन कंमाक 7933/2018 मे पारित आदेशानुसार काउंसलिंग पर लगी रोक (स्थगन) हटा दिए जाने से पटवारी चयन परीक्षा–2017 में जिला बालाघाट हेतु चयनित 240 पटवारी उम्मीद्वारों के दस्तावेज, सत्यापन एवं काउंसलिंग दिनांक 23.06.2018 दिन शनिवार प्रातः 10:00 बजे से नवीन कलेक्टर कार्यालय सिविल लाइन बालाघाट मेंरखी गयी है।

जिला बालाघाट हेतु चयनित पटवारी उम्मीद्वार काउंसलिंग में उपस्थिति के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल प्रति साथ लाएः–

1. स्नातक उपाधि की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जारी डिग्री ।
2. आयु संबंधी प्रमाण पत्र–जन्म प्रमाण पत्र अथवा 10वी बोर्ड की अंकसूची।
3. मूलनिवासी प्रमाण–पत्र।
4. जाति प्रमाण–पत्र।
5. निःशक्तजनों हेतु निःशक्तता का प्रमाण–पत्र।
6. भूतपूर्व सैनिकों हेतु प्रमाण–पत्र।
7. 50/– स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र।

नोटः– शपथ पत्र का प्रारूप आयुक्त भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्य प्रदेश ग्वालियर की वेबसाइट एवं जिला कलेक्टर बालाघाट की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

6/6

कलेक्टर

जिला–बालाघाट

पृ0कंमाक /964/भू.अ./स्था./2018 बालाघाट दिनांक 6/6/2018

प्रतिलिपि :–

1. अयुक्त भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. सहायक जनसंर्पक अधिकारी बालाघाट की ओर उपरोक्तानुसार प्रेस विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित किये जाने हेतु अग्रेषित।

6/6/18

कलेक्टर

जिला–बालाघाट